भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या92*

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा वार्षिक विवरणियों का न भरा जाना

***92 श्री सी.एम. रमेशः**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य के सभी गैर-सरकारी संगठनों ने विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत कर दी है;
(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य के उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जो वार्षिक विवरणियां भर रहे हैं;
(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान अपनी वार्षिक विवरणियां दायर नही की हैं; और
(घ) कानून के संगत उपबंधों के अधीन दोषी गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध की गई दंडात्मक कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 04.03.2015 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 92 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

यह पाया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले अनेक संघों ने वार्षिक लेखा विवरणियां प्रस्तुत नहीं की हैं। आंध्र प्रदेश में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत पंजीकृत संघों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों के दौरान वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले संघों की संख्या निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आंध्र प्रदेश में पंजीकृत संघों की कुल संख्या	वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने वाले संघों की कुल संख्या
2013-2014	3293	1739*
2012-2013	3157	2093*
2011-2012	2950	2531

*ऑनलाइन प्रस्तुत की गई

आंध्र प्रदेश राज्य में वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने/न करने वाले संघों का ब्यौरा वृहद है और इसे गृह मंत्रालय की वेबसाइटhttp://mha1.nic.in/fcra.htm पर देखा जा सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य में वित्तीय वर्ष 2009-2010, 2010-2011 एवं 2011-2012 के लिए वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने की वजह से 1441 चूककर्ता संघों को विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 18(1) तथा विदेशी अभिदा य (विनियमन) नियम , 2011 के नियम 17(1) के उल्लंघन के संबंध में नोटिस जारी किए थे। तत्पश्चात, उक्त संघों में से 1142 संघों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था।

****